

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



चतुर्थ घटक :

लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत
आवास निर्माण (BLC)
के लाभुक कृपया
ध्यान दें!

- ✓ क्या आपके द्वारा निर्मित किए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवास निर्माण की जियोटैगिंग / फोटोग्राफी ससमय किया जा रहा है ?
- ✓ क्या आपके आवास की जियोटैगिंग / फोटोग्राफी होने के बाद आपको ससमय किश्तों का भुगतान किया जा रहा है ?
- ✓ क्या आपके निर्माणाधीन आवास की जियोटैगिंग / फोटोग्राफी / आवास स्वीकृति अथवा किश्त भुगतान हेतु नगर निकाय के किसी पदाधिकारी अथवा PMC के कोई समस्या आ रही है ?
- ✓ क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत आवास निर्माण में किसी कर्मी द्वारा अनाधिकृत राशि की मांग की जा रही है ?



अगर आपको वर्णित विषयों से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो उसके त्वरित समाधान हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के टोल फ्री नंबर अथवा नीचे दिए गए माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज कराएँ।

1800-120-2929

WhatsApp & sms

7633928444

Website

pgms.dmajharkhand.in

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग,
झारखंड सरकार

Website : www.dmajharkhand.in

Follow us on : [f](https://www.facebook.com/dmajharkhand) [i](https://www.instagram.com/dmajharkhand) [y](https://www.youtube.com/dmajharkhand) [w](https://www.whatsapp.com/dmajharkhand) @jharkhandDMA

अधिक जानकारी के लिये अपने
नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पंचायत
कार्यालय में संपर्क करें।